

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(01)शिक्षा-2/2016 जयपुर, दिनांक: 29.01.2018 के क्रम में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पदस्थापन संशोधन/स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	कहाँ से (राजमावि/राबाउमावि)	कहाँ को (राजमावि)
1	श्रीमती बिन्दु यादव	अंग्रेजी	राबाउमावि किशनगढ़, अजमेर	राजमावि चैनपुरा, जोधपुर

नोट :- जिन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा के अन्तर्गत पदस्थापित कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्र में कार्यमुक्त अथवा कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। संबंधित शाला प्रधान शाला दर्पण से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करावें।

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 13/2/18 तक कार्यग्रहण करेंगे। इन्हें योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नवीन पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 07-2-18

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/पदस्थापन-स्थाना./2017-18

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर